साप्ताहिक

बुलंद गोंदिया

खबरों का आईना

प्रधान संपादक : **अभिषेक चौहान** । संपादक : **नवीन अग्रवाल**

E-mail : **bulandgondia@gmail.com** | E-paper : **bulandgondia.net** | Office Contact No.: **7670079009** | R. No.: **MAH-HIN-10169**

वर्ष : 2 | अंक : 50 | गोंदिया : गुरुवार, 28 जुलाई से 3 अगस्त 2022 | पृष्ठ : 4 | मूल्य : रु. 5

सावधान ! अगर आप अन्य राज्यों या विदेश जा रहे है तो मंकीपॉक्स से रहें दूर

त्वचा पर रैशेज, लौटने के बाद शरीर में बुखार हो तो नजरअंदाज न करें - डॉ नितिन वानखेड़े

बुलंद गोंदिया - अगर किसी कारण से अन्य राज्यों या विदेश जा रहे हैं तो मंकीपॉक्स से सावधान रहें। खासकर दिल्ली और केरल में इस बीमारी के मरीज मिले हैं। सौभाग्य से वे अभी महाराष्ट्र में नहीं हैं लेकिन भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दो दिन से अधिक बुखार और त्वचा पर लाल चकत्ते होने पर नजरअंदाज न करने का आवाहन जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नितिन वानखेड़े ने किया।

देश में इस समय मंकीपॉक्स के चार मामले हैं, जिनमें तीन केरल से और एक दिल्ली से है। दिल्ली के मरीज ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी। वहां से लौटने के बाद उन्हें एक हफ्ते से बुखार था। उसने यह सोचकर अनदेखा कर दिया कि मौसम में बदलाव के कारण बुखार हो सकता है। बाद में, जब समस्या बिगड़ गई, तो उन्होंने चिकित्सकीय ध्यान देने की मांग की। यह मेकपॉक्स निकला। महाराष्ट्र में फिलहाल इस बीमारी का बुखार नहीं है। लेकिन सावधानी बरतने की अपील जिला स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से की जा रही है। विदेश से लौटने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। विदेशी गांव से आने के बाद दो दिन से ज्यादा बुखार हो, त्वचा पर रैशेज, मांसपेशियों में दर्द, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करने का सुझव डॉ. नितिन वानखेड़े ने दिया। इस संबंध में कोई समस्या महसूस होने पर चिकित्सा सलाह लेने का सुझाव दिया जाता है। मंकीपॉक्स वायरस चूहों और चूहों की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कुछ अन्य बीमारियों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों में मंकीपॉक्स का डर अधिक आम है।

लक्षण क्या हैं?

- बुखार, थकान, सिरदर्द या मांसपेशियों में दर्द
- गले में खराश या खांसी
- कान के पीछे, गर्दन के आसपास, बगल में या जांघों में सूजन लिम्फ नोड्स
- त्वचा पर चकत्ते ध घाव (मुंह से शुरु होकर हाथ, पैर और हथेलियों तक फैलना।
- आंखों में दर्द या धुंधला दिखना।
- सांस लेने में कठिनाई।
- सीने में दर्द
- शुक्र नुकसान या मिरगी के दौरे
- पेशाब कम होना

रोग की अवधि

हालांकि बीमारी की अधिकतम अवधि 6 से 13 दिन है, लेकिन अवधि 5 से 21 दिनों तक हो सकती है। संक्रामक अवधि दाने के प्रकट होने से 1 से 2 दिन पहले तक होती है जब तक कि त्वचा के छाले पपड़ीदार या पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते।

बीमारी फैलना

लोगों के बीच सीधे शारीरिक संपर्क के मामले में, शरीर के तरल पदार्थ, यौन संपर्क या घावों, घावों से स्राव और संक्रमित व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कपड़ों से भी, यदि संक्रमित व्यक्ति अधिकतम समय तक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में है, तो संक्रमण उस व्यक्ति के श्वसन पथ से निकलने वाली बड़ी बूंदों के रुप में दूसरे व्यक्ति में फैलता है। संक्रमित जानवर को काटने या संक्रमित जानवर का कच्चा मांस खाने से भी यह बीमारी हो सकती है। मधुमेह, रक्तचाप, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति को मंकीपॉक्स रोग होने की संभावना अधिक होती है।

क्या करेंगे आप?

- प्रभावित व्यक्ति के पाए जाने पर उसका अलगाव। इसकी सूचना प्रशासन को दें। प्रभावित व्यक्ति को मास्क लगाने के लिए कहें।
- अगर त्वचा पर कोई कट लगें तो उन्हें एक साफ कपड़े से ढक दें।
- रोगी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कपड़े, चादर, तौलिये आदि के प्रयोग से बचें।
- अपने हाथ नियमित रुप से धोएं।

करीबी साथियों का पता लगाना और नियंत्रण करना

क्या करीबी साथी में मंकी पॉक्स जैसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं? इसे देखने के लिए अगले 21 दिनों तक प्रभावित रोगी का दैनिक अनुवर्तन आवश्यक है। यदि उसे बुखार हो जाता है, तो उसका प्रयोगशाला नमूना लिया जाना चाहिए। कोई लक्षण न होने पर भी इस अवधि के दौरान करीबी सहयोगियों को रक्त या अंग दान नहीं करना चाहिए। सर्वेक्षण अवधि के दौरान स्कूली बच्चों को स्कूल नहीं जाने देने जैसे उपाय बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं। - डॉ दिनेश सुतार

अपर जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिप गोंदिया

जिप आमसभा की नियमानुसार समय पर नहीं दी जानकारी

जिप सदस्यों ने आमसभा स्थगित करने की मांग

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिला परिषद की आमसभा आगामी 29 जुलाई 2022 को आयोजित की गई है। उपरोक्त सभा की जानकारी महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम 1961 के नियम 111 तथा उपनियम 4 के अनुसार आमसभा के 15 दिनों पूर्व सूचना सदस्यों को दी जानी चाहिए। किंतु सभा के 6 दिन पूर्व तक जानकारी नहीं दी गई। जिस पर जिला परिषद सदस्यों ने उपरोक्त सभा को स्थगित कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

गौरतलब है कि गोंदिया जिला परिषद की आमसभा 29 जुलाई 2022 को आयोजित की गई। जिसकी अधिकारिक सूचना 23 जुलाई यानी सभा के 6 दिनों पूर्व तक सदस्यों को नहीं दी गई, ऐसा आरोप जिला परिषद सदस्य विजय ऊके, रितेश मलगाम, लक्ष्मीबाई तरोंने व शांताबाई देशभ्रतार ने लगाते हुए जिला परिषद प्रशासन से मांग की है कि 29 जुलाई की सभा को स्थगित कर आगामी सभा हेतु नियमानुसार 15 दिनों के पूर्व सभी सदस्यों को सभा की सूचना देने के साथ ही सभा में रखे जाने वाले विषयों की विस्तृत जानकारी व आमसभा की कार्यवृत्त की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की मांग की है। आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम 1961 के नियम 111 व उपनियम 4 के अनुसार जिला परिषद की आमसभा की तारीख से 15 दिन पूर्व सूचना सदस्यों को दी जानी चाहिए। किंतु 6 दिन पूर्व तक उपरोक्त सभा की जानकारी नहीं दी गई। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन के अधिकारियों से पूछताछ किए जाने पर समय पर नोटिस नहीं दिए जाने का कोई स्पष्ट व ठोस कारण अधिकारी द्वारा नहीं दिया जा सका। साथ ही नियोजित सभा के नोटिस में विषय क्रमांक एक पर आम सभा के कार्यवृत्त को मंजूरी देकर कायम करने का विषय रखा गया है, किंतु आम सभा नोटिस के साथ सभा की कार्यवृत्त की प्रतिलिपि दी जानी चाहिए थी जो नहीं दी गई है। जिससे कि उसका अध्ययन कर सभी सदस्य उपरोक्त कार्यव्रत पर कोई निर्णय ले सके। किंतु जब कार्यवृत्त की प्रतिलिपि नहीं दी जाएंगी तो सदस्य उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे तथा उन्हें मंजूरी किस प्रकार दी जाए यह संभव नहीं होगा।

नियमानुसार सूचना दी गई

गोंदिया जिला परिषद आमसभा की नियमानुसार 13 जुलाई को सभी सदस्यों को सूचना के लिए नोटिस प्रकाशित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की गई है।

- पंकज रहांगडाले, अध्यक्ष
जिला परिषद गोंदिया

विद्यार्थियों की जान का खतरा बनी कन्हारटोला जिप स्कूल की ईमारत

बुलंद गोंदिया - शिक्षा विभाग शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, फिर भी नियोजन के अभाव में खर्च का लाभ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जिला परिषद स्कूलों में अभिभावक अपने जीगर के टुकडों को शिक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए घर से सुरक्षित भेजते है, लेकिन स्कूल में प्रवेश करते ही वे असुरक्षित हो जाते है। क्योंकि जीर्ण ईमारतों में शिक्षा का पाठ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जान खतरे में आ रही है। गोरेगांव पंचायत समिति अंतर्गत कन्हारटोला (पिंडकेपार) जिला परिषद स्कूल की ईमारत कभी भी गिर सकती है। इस तरह की हालत इस ईमारत हो चुकी है। फिर भी शिक्षा विभाग इसी जीर्ण ईमारत में विद्यार्थियों को बिठाकर उनके जान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। अपने जीगर के टुकडों को बचाने के लिए अभिभावक व शाला प्रबंधन समिति ने मकान के छप्पर में स्कूल शुरु कर विद्यार्थियों को शिक्षा का पाठ पढ़ाने के लिए शुरुआत कर दी है। इस तरह की दयनीय स्थिती जिला परिषद स्कूलों की है।

गौरतलब है की शिक्षा विभाग के नियोजन के अभाव में जिले की 338 स्कूलों की ईमारत जीर्ण हो चुकी है। बावजूद नई ईमारत तैयार करने में देरी की जा रही है। ऐसे में विद्यार्थियों की जान खतरे में आ रही है। हाल ही में गोरेगांव तहसील के जांभुलपानी व पाथरी की जिप स्कूल के कक्षाओं की छत गिर गई। शुक्र है कि स्कूल शुरु होने के आधा घंटे पूर्व छत गिरने से बड़ी घटना होते-होते टल गई। फिर भी शिक्षा विभाग इस ओर गंभीर दिखाई नहीं पड़ रहा है। पिंडकेपार ग्राम पंचायत अंतर्गत कन्हारटोला में जिला परिषद की कक्षा पहली से चौथी तक स्कूल संचालित है। जहां पर मात्र 10 विद्यार्थी शिक्षा का पाठ पढ़ रहे है। लेकिन पिछले कई वर्षों से जीर्ण ईमारत में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे है। जब ईमारत जीर्ण होने की जानकारी विद्यार्थियों के अभिभावकों को लगी तो उन्होंने निर्णय लिया कि अपने बच्चों को इस स्कूल के ईमारत में नहीं भेजेंगे। इस तरह का निर्णय लेकर शाला प्रबंधन समिति व अभिभावकों ने अपने जीगर के टुकडों को बचाने के लिए स्कूल के बजाए गांव के ही एक मकान के छप्पर में पाठशाला शुरु कर दी है। मकान के छप्पर में विद्यार्थी शिक्षा का पाठ पढ़ रहे है। इस तरह की दयनीय स्थिती जिला परिषद स्कूलों की होने से विद्यार्थियों की संख्या में कमी आ रही है। भविष्य में जिला परिषद स्कूल की सिर्फ ईमारते ही दिखेगी, विद्यार्थी नहीं। इस तरह की स्थिती आ जाएगी।

स्कूल की ईमारत जीर्ण

कक्षा पहली से कक्षा चौथी तक की स्कूल कन्हारटोला में संचालित है, लेकिन ईमारत पुरी तरह से जीर्ण होने से कभी भी ईमारत ढह सकती है। इस खतरे से बचने के लिए ग्राम के ही तेजराम रहांगडाले इनके मकान के छप्पर में शाला शुरु कर दी है। जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग को दे दी गई है।

- जी.एम. हरिणखेड़े, मुख्याध्यापक

संजय गांधी व श्रावण बाल योजना का नियमित लाभ दिया जाए - मुकेश मिश्रा

बुलंद गोंदिया - शासन की ओर से विधवा, अनाथ, निराधार, गरीब बुजुर्ग, गरीब, संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाल योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था आदि योजनाओं के मानधन के रुप में प्रतिमाह रु. 1000 मिलता था। लेकिन विगत 4 माह से संजय गांधी, श्रावण बाल योजना के लाभार्थियों को 1000 रु. मासिक किस्त नहीं दी गई है। गोंदिया के लाभार्थियों द्वारा नियमित किस्त ना मिलने के कारण अपनी समस्या मनसे के जिला उपाध्यक्ष मुकेश मिश्रा को बताया व शासन की ओर से मिलने किस्त नियमित दिलवाने के लिए कहा। लोगों की परेशानियों को समझते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला उपाध्यक्ष मुकेश मिश्रा द्वारा गोंदिया भंडारा जिले के सांसद सुनील मेंढे, राज्यसभा सांसद प्रफुल पटेल, गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल, जिलाधिकारी, उप विभागीय अधिकारी गोंदिया, तहसीलदार गोंदिया से मांग की है कि विगत 4 माह की किस्ते नियमित पेंशन के रुप में दिलवाने की व्यवस्था करें।

चलती ट्रेन में अब वेटिंग टिकट होगी कन्फर्म

गोंदिया-रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस से हुई शुरुआत

टीटीई को मिल रहा है हैंड हैंडल्ड टर्मिनल डिवाइस

बुलंद गोंदिया - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल में टीटीई ट्रेनों में हैंड हैंडल टर्मिनल डिवाइस (एचएचटी) से टिकटों की जांच करेंगे, इसके लिए नागपुर मंडल को 90 एचएचटी मशीन मिली है। जिसमें से वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रवीशकुमार सिंह ने 30 हैंड हैंडल टर्मिनल डिवाइस गोंदिया स्टेशन के टीटीई को सौंपी है टिकट चेकिंग स्टाफ को 4जी सिम के साथ यह मशीनें दी जा रही है जिससे टीटीई ट्रेनों में खाली बर्थ की सूचना देंगे और तत्काल आरएसी वेटिंग सूची के यात्रियों का टिकट कंफर्म हो जाएगा इससे यात्रियों को आरक्षित सीटों का लाभ मिलेगा। गोंदिया स्टेशन में प्रथम चरण में हैंड हैंडल मशीन की शुरुआत ट्रेन क्रमांक 12070 गोंदिया-रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में चलने वाले टीटीई को देकर की गई है आगामी दिनों में हैंड हैंडल टर्मिनल डिवाइस से गोंदिया से चलने वाली अन्य गाड़ियों में भी चेकिंग की जाएगी।

इसके लिए पहले चरण में सेंटर फॉर रेलवे इनफॉरमेशन सिस्टम (क्रिस) दिल्ली से नागपुर मंडल के टिकट जांच कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और बाकी कर्मियों के प्रशिक्षित हो जाने के बाद जल्द ही हैंड हैंडल टर्मिनल मशीनों का उपयोग यात्रा के दौरान बर्थ आवंटन में किया जाएगा। हैंड हैंडल टर्मिनल मशीन आईपैड साइज की डिजिटल डिवाइस है इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों का रिजर्वेशन चार्ट उपलब्ध रहेगा मशीन जीपीआरएस के जरिए यात्री आरक्षण प्रणाली के केंद्रीय सर्वर से जुड़ी रहती है इसीलिए जहां भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, टिकटों की बुकिंग का विवरण अपडेट हो जाता है। इसके जरिए टीटीई सीट कंफर्मेशन, कैंसिलेशन, पेनाल्टी, अतिरिक्त किराया आदि का काम भी कर सकेंगे साथ ही टीटीई कोच की वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकसिटी, बेडरोल, टॉयलेट क्लीनिंग, पैसेंजर को आवश्यक चिकित्सा सुविधा के लिए परस्पर संचार कर सकेंगे। इससे यात्रियों को लाभ मिलेगा।

उड़ानपुल पर ट्रक खराब यातायात बाधित

बुलंद गोंदिया - गोंदिया का शुरु एकमात्र उड़ानपुल जिस पर जिलाधिकारी द्वारा गत दिनों भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बावजूद शनिवार 23 जुलाई को एक ट्रक उड़ान पुल से गुजर रहा था। इसी दौरान उड़ानपुल आबेडकर प्रतिमा के समीप ट्रक अचानक खराब होकर बंद हो गया। जिससे पीछे वाहनों की लंबी कतारें लग गई व यातायात बाधित हो गया जो काफी समय तक बाधित रहा। ट्रक खराब ट्रक को हटाने में यातायात शाखा को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यातायात विभाग के निरीक्षक पवार व कार्य पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा ट्रक को धकेलने का प्रयास किया, लेकिन लोडेड होने से वाहन जगह से टस से मस नहीं हुआ। जिसके चलते वहां से गुजरने वाले गोंदिया के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के छात्रों का सहयोग लेकर ट्रक को प्रमुख मार्ग से हटाया गया जिसके पश्चात यातायात शुरु हुआ। 4 टन से अधिक भारी वाहनों के प्रवेश पर बंदी के बावजूद भारी वाहन उपरोक्त पुल से आवागमन कर रहे हैं। जिससे आए दिन यातायात बाधित हो रहा है। जबकि पुल पर से भारी वाहनों के सुबह से रात तक प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन

मरीजों को फल व स्कूली बच्चों को खेल सामग्री की वितरित

बुलंद गोंदिया - राज्य के उपमुख्यमंत्री व शिंदे-भाजपा सरकार के शिल्पकार देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में गोंदिया-भंडारा विधान परिषद क्षेत्र के विधायक डॉ. परिणय फुके मित्रमंडल व भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक कार्यो का आयोजन कर जन्मदिन सोत्साह से मनाया।

जन्मदिवस के अवसर पर पार्टी के आदेशों का पालन कर सेवाभावी कार्य के तौर पर शासकीय अस्पताल में मरीजो को फल वितरण एवं नगर परिषद की कॉन्वेंट शाला में नन्हें नन्हे बच्चों को खेल सामग्री वितरित की गई। गौरतलब है कि इस वर्ष भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए फरमान जारी कर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के मौके पर बैनर-पोस्टर नहीं लगाने का निर्देश था। गोंदिया में इन्ही आदेशों का पालन कर सादगी से जन्मदिन मनाया गया।

इस अवसर पर भाजपा के जिला संगठन मंत्री संजीव कुलकर्णी, शहर अध्यक्ष सुनील केलनका, संतोष चव्हाण, जगदीश अग्रवाल, बंटी पंचबुद्धे, सौ.भावना कदम, गजेंद्र फुंडे, जयंत शुक्ला, शंभुशरणसिंग ठाकुर, मुकेश चन्ने, मनोज पटनायक, अंकित जैन, सौ.श्रद्धा अग्रवाल, आशालता देशमुख, गावंडे, लालवानी, चंद्रभान तरोने, नीतीश शाह, इंजि.अर्पित पांडे, पुरु ठाकरे, सन्तोष कुसराम, पंकज भिवगड़े, राकेश अग्रवाल, रितेश शाहू, दीपम देशमुख, , सुरेंद्र तिड़के, राहुल वक्री, आदि की उपस्थिति रही।

संपादकीय

कौन कहां अल्पसंख्यक?

भारत जैसे बड़े देश में अलग-अलग राज्यों में समुदायों की स्थिति और संख्या अलग-अलग है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक भाषा बोलने वालों या धार्मिक समुदाय को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक करार देना कुछ मामलों में इंसाफ का मजाक बना सकता है। अल्पसंख्यक दर्जे की मांग से जुड़े एक मामले में पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक दर्जे की मांग से जुड़े एक मामले में सोमवार को स्पष्ट किया कि देश में धार्मिक और भाषाई समुदायों के माइनॉरिटी स्टेटस का सवाल राज्य स्तर पर ही तय होना चाहिए। भारत जैसे बड़े देश में अलग-अलग राज्यों में इन समुदायों की स्थिति और संख्या अलग-अलग है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक भाषा बोलने वालों या धार्मिक समुदाय को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक करार देना कुछ मामलों में इंसाफ का मजाक बना सकता है। उदाहरण के लिए, कोई मराठीभाषी व्यक्ति महाराष्ट्र में भाषाई तौर पर बहुसंख्यक समुदाय का सदस्य होता है, लेकिन दिल्ली आने पर वही अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य हो जाता है। धार्मिक समुदायों की भी वही स्थिति है। बौद्ध, सिख वगैरह को तो छोड़िए हिंदुओं की भी यह स्थिति है कि देश के कई राज्यों में वह नगण्य संख्या में हैं। उदाहरण के लिए, हिंदुओं की आबादी मिजोरम में 2.75 फीसदी, नगालैंड में 8.74 फीसदी और मेघालय में 11.52 फीसदी है। केंद्र शासित क्षेत्रों में देखा जाए तो कई क्षेत्रों में यह संख्या और कम मिलती है। उदाहरण के लिए, लद्दाख में यह संख्या महज 1 फीसदी, लक्षद्वीप में 2.77 फीसदी और कश्मीर में 4 फीसदी है। भारत जैसे हिंदू बहुल देश के अलग-अलग हिस्सों में हिंदुओं की नगण्य उपस्थिति हमारी विविधता का जीता-जागता सबूत है।

साथ ही यह बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य स्तर पर किए जाने की जरुरत भी रेखांकित करती है। लेकिन इससे आगे धार्मिक और कानूनी जटिलताओं का सिलसिला शुरु हो जाता है। मसलन, अगर इस सवाल को लिया जाए कि किसी समुदाय को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक दर्जा देने का अधिकार किसके पास है तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे ही अन्य मामलों में साफ-साफ कह चुकी है कि यह अधिकार उसके पास है। इसी तरह अगर आबादी के कम या ज्यादा अनुपात के आधार पर हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों के हनन की शिकायत की जाए तो उसका भी कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। संभवतरु इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जे से वंचित किए जाने संबंधी याचिकाकर्ताओं की दलील पर कहा कि जब तक ऐसे ठोस मामले सामने नहीं आते, इन दावों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। जाहिर है, इस मामले में सरलीकरण से काम नहीं चलेगा। बहरहाल, मामला अभी अदालत में चल ही रहा है। इस दौरान इससे जुड़े तमाम जटिल पहलू सामने आएंगे और उन पर सभी संबद्ध पक्षों की राय भी सामने आएगी। फिलहाल, यह जरुर स्पष्ट हो गया है कि माइनॉरिटी स्टेटस और उससे जुड़े अधिकार संबंधी कानूनी मसले श्आम धारणाश के आधार पर नहीं हल किए जा सकते। और, इसमें शक करने की कम से कम अब कोई वजह नहीं है कि आबादी में खास समुदाय के अनुपात तय करने का काम राज्य स्तर पर ही होना चाहिए।

विश्व बाघ दिवस

अगर हमें एक हेल्दी पर्यावरण में रहना हैं तो हर चीज़ के बीच संतुलन बनाना ज़रुरी है। बाघ उन प्रजातियों में से है जो खत्म होने की कगार पर हैं। इसी कारण से 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रुप में मनाते है। इसी कारण से बाघों की घटती आबादी पर विराम लगाने के लिए और संरक्षण के प्रति विश्व भाग दिवस मनाया जाता है। जिससे लोगो जानवरों का महत्व समझे। बाघ के लुप्त होने की वजह से प्राकृतिक अस्थिरता बदती जा रही है। बाघ का वैज्ञानिक नाम Panthera Tigris ये बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति हैं। आज हम आपको विश्व बाघ दिवस कैसे शुरु हुआ, इसकी थीम क्या है, भारत में बाघ की विभिन्न प्रजातियां, भारत में चलाए गए बाघ संरक्षण प्रोग्राम आदि पर जानकारी देंगे।

विश्व बाघ दिवस का इतिहास

बाघ संरक्षण दिवास को बढ़ावा देना के लिए और बाघों की घटती आबादी के प्रति जागरुक करने के लिए 2010 रुस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित शिखर सम्मलेन में विश्व बाघ दिवस मानाने का ऐलान किया गया। इसमें देशों द्वारा 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य हैं।

बाघ दिवस का महत्व

बाघों की सुरक्षा और परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए मनाया जाता हैं। विश्व दिवस के दिन कई देश साथ में मिलकर बाघ संरक्षण से सम्बंधित मुद्दों पर चर्चा और वन्यजीवन संरक्षण के लिए फण्ड इकठ्ठा करना। विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund) के मुताबिक पूरे विश्व में लगभग 3900 बाघ है। अवैध शिकार की वजह से बाघों की लगभग 95 प्रतिशत आबादी खत्म हो चुकी है। 1970 में बाघों के संरक्षण के बावजूद बाघों की संख्या में तेज़ी से गिरावट आई है। इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य हैं। बाघों को (Umbrella Species) के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनका संरक्षण आस पास में रह रही कई और प्रजातियों का भी संरक्षण होगा।

भारत में बाघ संरक्षण

बाघ का वैज्ञानिक नाम Panthera Tigris एक अल्फा शिकारी है जानवर है जो हिरण और जंगली सूअर जैसे जानवरों का शिकार करता है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय पशु के संरक्षण में आगे रहा है।

प्रोजेक्ट टाइगर

बाघों की घटती संख्या को ध्यान रखते हुए 1973 मे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया इसका उदेश्य देश में बाघ का संरक्षण को बढावा देना। रॉयल बंगाल टाइगर को उसका नेचुरल आवास उपलब्ध कराना हैं। इसके तहत बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 8 राज्यों में अभ्यारण बनाया गए। काजीरंगा नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, सेंट्रल इंडिया, शिवालिक-तिराई, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नार्थ ईस्ट, सुंदरबन। यहाँ बाघों को सुरक्षा प्रदान हेतु रखा गया। जंगल में फूड चौन बनाए रखने में हिरण, चीतल अन्य जानवरों को रखा गया। वर्तमान में ‚प्रोजेक्ट टाइगर‛ के तहत संरक्षित टाइगर रिज़र्व की संख्या 50 हो गई है।

भारत में बाघों की दशा

2018 में प्रकाशित अखिल भारतीय बाघ अनुमान के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2,967 हो गयी हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत ने 4 चार साल पहले ही सेंट पीट्सबर्ग में दिए लक्ष्य को हासिल कर लिया। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 थी। तीन टाइगर रिज़र्व बक्सा (पश्चिम बंगाल), डंपा (मिज़ोरम) और पलामू (झारखंड) में बाघों के अनुपस्थिति दर्ज की गई।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार दी गई जानकारी में साल 2019 में देश में बाघों की मृत्यु के 85 मामले आए है, 11 मामलों में मरने की पुष्टि उनके अंगों के मिलने के आधार पर की गई। 2018 में बाघों की मृत्यु के 100 मामले और 2017 में 115 मामले थे।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण विश्व बाघ दिवस

भारत में बाघों की जनगणना का आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 2006 में किया गया था। प्रत्येक 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा पूरे भारत में बाघों की जनगणना की जाती है। ये एक संविधान इकाई है जो वन, पर्यावरण एवं जलवायु के अन्दर आता है।

भारत में राष्ट्र बाघ संरक्षण प्राधिकार ने अवैध शिकार से बचाने के लिए इंटेलिजेंट, इन्फ्रारेड और 24x7 थर्मल कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा हैं। बाघ संरक्षण के बजट को बड़ा कर 150 करोड़ से 350 करोड़ कर दिया है। सरकार ने जानवरों को जल और चारा उपलब्ध करने का प्रयास किया है जिसके लिए LiDA R टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा।

बाघों की आबादी में कमी के कारण

अवैध शिकार और अवैध व्यापार ङ्ग बाघ का अवैध शिकार इसलिए होता है क्योंकि बाघ के शरीर के प्रत्येक अंग की मूंछ से लेकर उसकी पूंछ तक की भारी मांग होती है। 1930 के बाद से बाघों की आबादी में अत्यधिक गिरावट आई है. अवैध शिकार बचे हुए बाघों की आबादी के लिए अगला खतरा है।

बाघों के आवास पर बड़े पैमाने पर कब्ज़ा किया गया और रहने इत्यादि के लिये जगह बनाने के लिए वनों को काटा जा रहा है। जंगल काटने से बाघों के आवास को 93 प्रतिशत नुकसान पंहुचा है।

जलवायु परिवर्तन- समुद्र का बढ़ता स्तर सुंदरवन खत्म होने की कगार पर है, जो रॉयल बंगाल टाइगर्स का सबसे बड़ा बाघ निवास स्थान है।

बाघों की विभिन्न प्रजातियां

साइबेरियन टाइगर : बाघ जो बर्फीले परिस्थितियों में ही रहते हैं।

बंगाल टाइगर : ये बाघ एशिया में पाए जाते हैं। एशिया में बंगाल टाइगर बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल में पाए जाते हैं।

इंडोचाइनीज टाइगर : इन बाघों को कई एशियाई देशों में देखा जा सकता है। इंडोचाइनीज टाइगर बर्मा, कंबोडिया, लाओस, चीन, वियतनाम और थाईलैंड में पाए जाते हैं।

मलेशियाई बाघ : ये बाघ केवल मलय प्रायद्वीप के दक्षिण में पाए जा सकते हैं।

साउथ चाइना टाइगर्स : ये सबसे लुप्तप्राय बाघ उप-प्रजातियों में से एक हैं। वे सुमात्राण बाघों की तुलना में अधिक संकटग्रस्त हैं।

सुमात्रा टाइगर्स : ये बाघ बिल्ली परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं और ग्रह पर सबसे करिश्माई लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक हैं।

विलुप्त बाघ प्रजाति

- बाली टाइगर
- कैस्पियन टाइगर
- जावन टाइगर
- टाइगर हाइब्रिड

विश्व बाघ दिवस पर निबंध

बाघ भारत का राष्ट्र पशु है। ये बिल्ली की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। ये एक क्रूर जानवर माना जाता है। बाघ की लगभग आठ नस्ले है, रॉयल बंगाल प्रजाति लगभग पूरे देश (उत्तर-पश्चिमी राज्य को छोड़कर) में पाई जाती है। क बाघ की लंबाई 8 से 10 फीट और ट्टंचाई 3 से 4 फीट हो सकती है। इसके ऊपरी दो दांत और दो निचले जबड़े के दो दांत बहुत भारी और मजबूत होते हैं ताकि एक भारी शिकार को अपनी भारी जरुरत को पूरा करने के लिए हड़प सकें। एक बाघ की लंबाई और ऊंचाई क्रमश: 8 से 10 फीट और 3 से 4 फीट हो सकती है। भारत में बाघ सबसे ज्यादा पर सुंदरवन (असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मध्य भारत, आदि) में पाए जाते हैं। बड़े आकार के बाघ अफ्रीकी जंगलों में पाए जाते हैं। साइबेरियन टाइगर्स ठंडी जगहों पर रहने के लिए होते हैं, लेकिन रॉयल बंगाल टाइगर्स जंगल में नदी के पास है, इसलिए वे अच्छे तैराक होते हैं।

बाघ बांग्लादेश, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, मलेशिया, रुस, वियतनाम, भूटान, आदि में भी पाए जाते हैं। तेजी से बाघों की घटती संख्या को रोकने और उन्हें संरक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उतराखंड के जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कर 1 अप्रैल, 1973 से बाघ परियोजना आरम्भ की थी।

मुंशी प्रेमचंद : जयंती

धनपत राय श्रीवास्तव (31 जुलाई 1880 - 8 अक्टूबर 1936) जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वो हिन्दी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग डेढ़ दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि तीन सौ से अधिक कहानियाँ लिखीं। उनमें से अधिकांश हिन्दी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुईं। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग तीन वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबन्ध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है।

1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन तीस वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आन्दोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आन्दोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छूआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री-पुरुष समानता, आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। हिन्दी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखण्ड को प्रेमचंद युग कहा जाता है।

जीवन परिचय

प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले (उत्तर प्रदेश) के लमही गाँव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनन्दी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायबराय था जो लमही में डाकमुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरम्भिक शिक्षा फ़ारसी में हुई। प्रेमचंद के माता-पिता के सम्बन्ध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि- जब वे सात साल के थे, तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब पन्द्रह वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और सोलह वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहान्त हो गया।

इसके कारण उनका प्रारम्भिक जीवन संघर्षमय रहा। प्रेमचंद के जीवन का साहित्य से क्या संबंध है? इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से होती है कि- सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पण्डे-पुरोहित का कर्मकाण्ड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन यह सब प्रेमचंद ने सोलह साल की उम्र में ही देख लिया था। इसीलिए उनके ये अनुभव एक जबर्दस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा-साहित्य में झलक उठे थे। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म-ए-होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ शरसार, मिर्ज़ा हादी रुस्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। उनका पहला विवाह पंद्रह साल की उम्र में हुआ। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ जो बाल-विधवा थीं। वे सुशिक्षित महिला थीं जिन्होंने कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी तीन सन्ताने हुईं- श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के सन्दर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि- 1910 में अंग्रेज़ी, दर्शन, फ़ारसी और इतिहास लेकर इण्टर किया और 1919 में अंग्रेजी, फ़ारसी और इतिहास लेकर बी.ए. किया। 1919 में बी.ए. पास करने के बाद वे शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए।

1921 ई. में असहयोग आन्दोलन के दौरान महात्मा गाँधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आहवान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासीलाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण निकाला। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रुप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 ई. में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कम्पनी में कहानी लेखक के रुप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास नहीं आई। वे एक वर्ष का अनुबन्ध भी पूरा नहीं कर सके और दो महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरन्तर बिगड़ता गया। लम्बी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया।

साहित्यिक जीवन

प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था, आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि- प्रेमचंद की पहली रचना, जो अप्रकाशित ही रही, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरुप चमारों द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था। इसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम के अपने लेख में किया है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे मआबिद, है जो धारावाहिक रुप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रुपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हमखुर्मा व हमसवाब है जिसका हिंदी रुपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। 1908 ई. में उनका पहला कहानी संग्रह सोज़े-वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज़ सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियाँ जब्त कर लीं और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दयानारायन निगम ने रखा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी ज़माना पत्रिका के दिसम्बर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई।

1915 ई. में उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसम्बर अंक में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई। 1918 ई. में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवासदन प्रकाशित हुआ। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालाँकि उनकी लगभग सभी रचनाएँ हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रहीं। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ तथा डेढ़ दर्जन उपन्यास लिखे।

1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए। उन्होंने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने लगभग छह वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन किया। 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास प्रकाशित किया। 1925 ई. में उन्होंने रंगभूमि नामक वृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगलप्रसाद पारितोषिक भी मिला। 1926-27 ई. के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चाँद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रुप में निर्मला की रचना की। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना की। उन्होंने 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरु किया। 1932 ई. में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कथा-लेखक की नौकरी भी की। 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी उन्होंने ही लिखी थी।

1920-36 तक प्रेमचंद लगभग दस या अधिक कहानी प्रतिवर्ष लिखते रहे। मरणोपरांत उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुईं। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय, पत्र के रुप में भी उनका विपुल लेखन उपलब्ध है।

प्रेमचन्द ने जागरण नामक समाचार पत्र तथा हंस नामक मासिक साहित्यिक पत्रिका का सम्पादन किया था। उन्होंने सरस्वती प्रेस भी चलाया था। वे उर्दू की पत्रिका जमाना में नवाब राय के नाम से लिखते थे।

मोहम्मद रफी : पुण्यतिथी

मोहम्मद रफ़ी (24 दिसंबर 1924-31 जुलाई 1980) जिन्हें दुनिया रफ़ी या रफ़ी साहब के नाम से बुलाती है, हिन्दी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक थे। अपनी आवाज की मधुरता और परास की अधिकता के लिए इन्होंने अपने समकालीन गायकों के बीच अलग पहचान बनाई। इन्हें शहंशाह-ए-तरन्नुम भी कहा जाता था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ने अपने आगामी दिनों में कई गायकों को प्रेरित किया। इनमें सोनू निगम, मुहम्मद अज़ीज़ तथा उदित नारायण का नाम उल्लेखनीय है - यद्यपि इनमें से कइयों की अब अपनी अलग पहचान है। 1940 के दशक से आरंभ कर 1980 तक इन्होने कुल 26,000 गाने गाए। इनमें मुख्य धारा हिन्दी गानों के अतिरिक्त ग़ज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, क़व्वाली तथा अन्य भाषाओं में गाए गीत शामिल हैं। जिन अभिनेताओं पर उनके गाने फिल्माए गए उनमें गुरु दत्त, दिलीप कुमार, देव आनंद, भारत भूषण, जॉनी वॉकर, जॉय मुखर्जी, शम्मी कपूर, राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेन्द्र, जीतेन्द्र तथा ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा के अलावे गायक अभिनेता किशोर कुमार का नाम भी शामिल है। 24 दिसंबर 2017 को मोहम्मद रफी के 93वें जन्मदिवस पर गूगल ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी याद में गूगल डूडल बनाकर उनके गीतों को और उनकी यादों को समर्पित किया। इस डूडल को मुंबई के चित्रकार साजिद शेख द्वारा बनाया गया था।

आरंभिक दिन

मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसम्बर 1924 को अमृतसर, के पास कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। आरंभिक स्कूली पढ़ाई कोटला सुल्तान सिंह में हुई। जब मोहम्मद रफी करीब सात साल के हुए तब उनका परिवार रोजगार के सिलसिले में लाहौर आ गया। इनके परिवार का संगीत से कोई खास सरोकार नहीं था। जब रफ़ी छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी, रफ़ी का काफी वक्त वहीं पर गुजरता था। कहा जाता है कि रफ़ी जब सात साल के थे तो वे अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फकीर का पीछा किया करते थे जो उधर से गाते हुए जाया करता था। उसकी आवाज रफ़ी को पसन्द आई और रफ़ी उसकी नकल किया करते थे। उनकी नकल में अव्वलता को देखकर लोगों को उनकी आवाज भी पसन्द आने लगी। लोग नाई की दुकान में उनके गाने की प्रशंसा करने लगे। लेकिन इससे रफ़ी को स्थानीय ख्याति के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनके संगीत के प्रति इनकी रुचि को देखा और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा। एक बार आकाशवाणी (उस समय ऑल इंडिया रेडियो) लाहौर में उस समय के प्रख्यात गायक-अभिनेता कुन्दनलाल सहगल अपना प्रदर्शन करने आए थे। इसको सुनने हेतु मोहम्मद रफ़ी और उनके बड़े भाई भी गए थे। बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल ने गाने से मना कर दिया। रफ़ी के बड़े भाई ने आयोजकों से निवेदन किया की भीड़ की व्यग्रता को शांत करने के लिए मोहम्मद रफ़ी को गाने का मौका दिया जाय। उनको अनुमति मिल गई और 13 वर्ष की आयु में मोहम्मद रफ़ी का ये पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। प्रेक्षकों में श्याम सुन्दर, जो उस समय के प्रसिद्ध संगीतकार थे, ने भी उनको सुना और काफी प्रभावित हुए। उन्होने मोहम्मद रफ़ी को अपने लिए गाने का न्यौता दिया।

मोहम्मद रफ़ी का प्रथम गीत एक पंजाबी फ़िल्म गुल बलोच के लिए था जिसे उन्होने श्याम सुंदर के निर्देशन में 1944 में गाया। सन् 1946 में मोहम्मद रफ़ी ने बम्बई आने का फैसला किया। उन्हें संगीतकार नौशाद ने पहले आप नाम की फ़िल्म में गाने का मौका दिया।

नौशाद द्वारा सुरबद्ध गीत तेरा खिलौना टूटा (फ़िल्म अनमोल घड़ी, 1946) से रफ़ी को प्रथम बार हिन्दी जगत में ख्याति मिली। इसके बाद शहीद, मेला तथा दुलारी में भी रफ़ी ने गाने गाए जो बहुत प्रसिद्ध हुए। 1951 में जब नौशाद फ़िल्म बैजू बावरा के लिए गाने बना रहे थे तो उन्होने अपने पसंदीदा गायक तलत महमूद से गवाने की सोची थी। कहा जाता है कि उन्होने एक बार तलत महमूद को धूम्रपान करते देखकर अपना मन बदल लिया और रफ़ी से गाने को कहा। बैजू बावरा के गानों ने रफ़ी को मुख्यधारा गायक के रुप में स्थापित किया। इसके बाद नौशाद ने रफ़ी को अपने निर्देशन में कई गीत गाने को दिए। लगभग इसी समय संगीतकार जोड़ी शंकर-जयकिशन को उनकी आवाज पसंद आयी और उन्होंने भी रफ़ी से गाने गवाना आरंभ किया। शंकर जयकिशन उस समय राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार थे, पर राज कपूर अपने लिए सिर्फ मुकेश की आवाज पसन्द करते थे। बाद में जब शंकर जयकिशन के गानों की मांग बढ़ी तो उन्होंने लगभग हर जगह रफ़ी साहब का प्रयोग किया। यहाँ तक की कई बार राज कपूर के लिए रफी साहब ने गाया। जल्द ही संगीतकार सचिन देव बर्मन तथा उल्लेखनीय रुप से ओ.पी. नैयर को रफ़ी की आवाज़ बहुत रास आयी और उन्होने रफ़ी से गवाना आरंभ किया। ओ.पी. नैयर का नाम इसमें स्मरणीय रहेगा क्योंकि उन्होने अपने निराले अंदाज में रफ़ी-आशा की जोड़ी का काफी प्रयोग किया और उनकी खनकती धुनें आज भी उस जमाने के अन्य संगीतकारों से अलग प्रतीत होती हैं। उनके निर्देशन में गाए गानो से रफ़ी को बहुत ख्याति मिली और फिर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव, सलिल चौधरी इत्यादि संगीतकारों की पहली पसंद रफ़ी साहब बन गए।

दिलीप कुमार, भारत भूषण तथा देवानंद जैसे कलाकारों के लिए गाने के बाद उनके गानों पर अभिनय करने वालो कलाकारों की सूची बढ़ती गई। शम्मी कपूर, राजेन्द्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेश खन्ना, धर्मेन्द्र इत्यादि कलाकारों के लिए रफ़ी की आवाज पृष्ठभूमि में गूंजने लगी। शम्मी कपूर तो रफ़ी की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होने अपने हर गाने में रफ़ी का इस्तेमाल किया। उनके लिए संगीत कभी ओ.पी. नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन ने पर आवाज रफ़ी की ही रही। चाहे कोई मुझे जंगली कहे (जंगली), एहसान तेरा होगा मुझपर (जंगली), ये चांद सा रोशन चेहरा (कश्मीर की कली), दीवाना हुआ बादल (आशा भोंसले के साथ, कश्मीर की कली) शम्मी कपूर के ऊपर फिल्माए गए लोकप्रिय गानों में शामिल हैं। धीरे-धीरे इनकी ख्याति इतनी बढ़ गयी कि अभिनेता इन्हीं से गाना गवाने का आग्रह करने लगे। राजेन्द्र कुमार, दिलीप कुमार और धर्मेन्द्र तो मानते ही नहीं थे कि कोई और गायक उनके लिए गाए।

व्यक्तिगत जीवन

मोहम्मद रफी एक बहुत ही समर्पित मुस्लिम, व्यसनों से दूर रहने वाले तथा शर्मीले स्वभाव के आदमी थे। आजादी के समय विभाजन के दौरान उन्होने भारत में रहना पसन्द किया। उन्होने बेगम विक़लिस से शादी की और उनकी सात संतान हुईं- चार बेटे तथा तीन बेटियां।

मोहम्मद रफ़ी को उनके परमार्थो के लिए भी जाना जाता है। वो बहुत हँसमुख और दरियादिल थे तथा हमेशा सबकी मदद के लिये तैयार रहते थे। गानों की रॉयल्टी को लेकर लता मंगेशकर के साथ उनका विवाद भी उनकी दरियादिली का सूचक है। उनका कहना था कि एक बार गाने रिकॉर्ड हो गए और गायक-गायिकाओं को उनकी फीस का भुगतान कर दिया गया हो तो उनको और पैसों की आशा नहीं करनी चाहिए। उनका देहान्त 31 जुलाई 1980 को हृदयगति रुक जाने के कारण हुआ।

मासूम जिंदगियों को लिलती मानव तस्करी की भयावहता विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस विशेष - ३० जुलाई २०२२

आज देश में बड़े पैमाने पर समस्याओं की बाढ़ सी आ गयी है. तेजी से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बीमारियां, प्रदूषण, मिलावटखोरी, संस्कारहीन व्यवहार, डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता रुपया, देश पर बढ़ता कर्ज, बढ़ता अपराध का ग्राफ, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जैसी अनेक समस्याएं समाज को खोखला कर रही है। ऐसी समस्याएं नयी समस्याओं को जन्म देती है, जिसमे से मानव तस्करी प्रमुख है। विश्वभर में बड़े स्तर पर मानव तस्करी का भयावह जाल फैला हुआ है, मानव तस्करी द्वारा मासूम जिंदगियों को जीते-जी जानवरों से भी बदतर नरकीय यातना देकर, गुलाम बनाकर अमानवीय व्यवहार किया जाता है। पुरुष, महिलाएं और सभी उम्र और सभी पृष्ठभूमि के बच्चे इस अपराध के शिकार हो सकते हैं। इसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध माना जाता है। व्यावसायिक यौन शोषण और जबरन विवाह के उद्देश्य से देश के भीतर महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की जाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में अत्यधिक विषम है। पुरुषों और लड़कों का अवैध व्यापार श्रम के उद्देश्य से किया जाता है, मानव अंग तस्करी की जाती है और अवैध व्यापार करने वालों द्वारा जिगोलो, मालिश विशेषज्ञ, अनुरक्षक आदि के रुप में काम करने के लिए उनका यौन शोषण किया जा सकता है। बच्चों को कारखाने के श्रमिकों, घरेलू नौकरों, भिखारियों, और के रुप में जबरन श्रम के अधीन किया जाता है। कृषि श्रमिकों, और कुछ आतंकवादी और विद्रोही समूहों द्वारा सशस्त्र लड़ाकों के रुप में इस्तेमाल किया गया है।

विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस पर इस वर्ष 2022 की थीम प्रौद्योगिकी का उपयोग और दुरुपयोग है, एक उपकरण के रुप में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर केंद्रित है जो मानव तस्करी को सक्षम और बाधित दोनों कर सकता है, इसलिए जागरुकता सबसे जरुरी है। 2018 के ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स अनुसार, 167 देशों में से, भारत 53 वें स्थान पर है। वर्तमान में 1.4 प्रतिशत आबादी गुलामी में काम करने के लिए मजबूर है। भारत में लगभग 18.3 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी में जी रहे। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण अनुसार, यह पाया गया कि 21 प्रतिशत परिवार अपनी बढ़ी हुई आर्थिक संकट स्थिति के कारण बच्चों को बाल श्रम में भेजने के लिए संभावित रुप से तैयार हैं। 2020 में वैश्विक स्तर पर गरीबी की वजह से 5,00,000 से अधिक लड़कियों की जबरन शादी होने का अनुमान सेव द चिल्ड्रन ने लगाया था। जब जून और जुलाई में लॉकडाउन में ढील दी गई, तो बाल विवाह में वृक्रि हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक वृक्रि थी। लॉकडाउन के दौरान एक समय में, 11 दिनों के दौरान, सरकारी हेल्पलाइन पर बाल शोषण के 92,000 मामले दर्ज किए गए थे। भारत में लीगल सर्विसेज अनुसार, हर घंटे चार लड़कियां देहव्यापार में धकेल दी जाती हैं, जिनमें से तीन उनकी इच्छा के विरुक्र होती हैं। 2019 में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चला कि भारत में 1,19,617 बच्चे लापता बताए गए थे। हर महीने 64,851 बच्चे, महिलाएं और पुरुष लापता हो जाते हैं। भारत में अनुमानित रुप से 3,00,000 बाल भिखारी हैं। अप्रैल 2020 और जून 2021 के बीच, 9,000 से अधिक बच्चों को तस्करों से बचाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा नवीनतम रिपोर्ट अनुसार

दुनियाभर में अनुमानित 40.3 मिलियन पीड़ित आधुनिक गुलामी में फंसे हुए हैं। 27 मिलियन वयस्क और 13 मिलियन बच्चे मानव तस्करी के शिकार हैं। 24.9 मिलियन का जबरन श्रम के लिए शोषण और 15.4 मिलियन संख्या जबरन विवाह से है। दुनिया में प्रति 1,000 लोगों पर 5.4 आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। दुनिया भर में तस्करी के शिकार 71 फीसदी महिलाएं और लड़कियां हैं और 29 फीसदी पुरुष और लड़के हैं। आधुनिक गुलामी का शिकार 4 में से 1 बच्चा है। घरेलू काम, निर्माण या कृषि जैसे निजी क्षेत्र में 16 मिलियन लोगों का शोषण किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खुलासा किया है कि सालाना लगभग 40,000 बच्चों का अपहरण किया जाता है, जिनमें से 11,000 का पता नहीं लगाया जा सकता है और भारत में मानव तस्करी का केवल 10 प्रतिशत ही अंतर्राष्ट्रीय है, जबकि 90 प्रतिशत अंतर्राज्यीय है। हालांकि जबरन और बंधुआ मजदूरी का कोई विश्वसनीय अध्ययन पूरा नहीं हुआ है, गैर सरकारी संगठनों का अनुमान है कि यह समस्या 20 से 65 मिलियन भारतीयों को प्रभावित करती है। मानव तस्करी से अवैध व्यापार करने वालों को सालाना लगभग 150 अरब डॉलर का वैश्विक मुनाफा होता है, जिसमें से 99 अरब डॉलर व्यावसायिक यौन शोषण से आता है।

भारत में मानव तस्करी अपराध प्रतिबंधित कानून

- अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार (बिना भुगतान के जबरन श्रम) को प्रतिबंधित करता है।
- अनुच्छेद 24 यह 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों और खानों जैसे खतरनाक कामों में रोजगार देने से मना करता है।
- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 370 और 370ए मानव तस्करी के खतरे का मुकाबला करने के लिए व्यापक उपाय प्रदान करती है, जिसमें शारीरिक शोषण या किसी भी रुप में यौन शोषण, दासता, या मानव अंगों को जबरन निकालने सहित किसी भी रुप में शोषण के लिए बच्चों की तस्करी शामिल है।
- धारा 372 और 373 देह व्यापार के उद्देश्य से लड़कियों को बेचने और खरीदने से संबंधित है।
- अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए) व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है।
- महिलाओं और बच्चों की तस्करी से संबंधित अन्य विशिष्ट कानून बनाए गए हैं जैसे - बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012, बच्चों को यौन शोषण और शोषण से बचाने के लिए एक विशेष कानून है।

मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है। सम्बंधित समस्या होने पर, शक्ति वाहिनी को 91-11-42244224, 91-9582909025 नंबर या राष्ट्रीय हेल्पलाइन चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल करें। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन (संकट में) 1091, महिला हेल्पलाइन (घरेलू दुर्व्यवहार) 181, राष्ट्रीय महिला आयोग (घरेलू हिंसा, यौन हिंसा और उत्पीड़न के लिए हेल्पलाइन) 07827170170, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) 011-26942369, 26944754, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 011-23385368, 09810298900 और राष्ट्रीय महिला आयोग (दिल्ली) में शिकायत दर्ज करने हेतु रु 011-26944880, 26944883 नंबर पर संपर्क कर सकते है।

थोड़ी सी सावधानियां और जागरुकता द्वारा हम ऐसी समस्याओं से काफी हद तक दूर रह सकते है।

- मानव तस्करी में शिकार को फांसने के लिए इंटरनेट बहुत बड़ा जरिया है, इंटरनेट का संभलकर उपयोग करें, आधुनिकता के अंधे कुए में गोता लगाने के पहले सीमाएं और सावधानियों को समझ लेना जरुरी है।
- बच्चों को इंटरनेट के उपयोग के सही मायने समझाएं।
- बच्चो को संस्कार, अच्छे-बुरे का भेद और मानवीय मूल्यों की पहचान करना सिखाएं।
- भावनाओं में बह कर या गुस्से में कोई भी अनुचित निर्णय लेने से बचें।
- लोगों पर अति शीघ्र भरोसा न करें, खासकर अजनबियों पर।
- बुरी संगत से बचें. अच्छे कार्य छोटे हो या बड़े मेहनत करने में कभी न झिझकें।
- हर किसी के पास अपना दुखड़ा न रोते रहें, निजी जानकारी साझा न करें।
- लोगों से ज्यादा उम्मीदें न लगाएं या उन पर ज्यादा निर्भर न रहें, अपनी मजबूरी को अपनी कमजोरी न बनने दें।
- किसी भी विषय पर औरों के दिखावे, लालच, लुभावने बहकावे में न आये, संयम और विवेक से काम लें।
- अच्छे और बुरे के बिच का फर्क समझना सीखें, लोगों को पहचानना सीखें.
- औरों का कितना भी नुकसान हो, स्वार्थी लोगों को सिर्फ खुद के फायदे से मतलब है, आज के समय में सफेद झूठ को भी सच बताकर बेचा जाता है इसलिए दुनियादारी का ज्ञान रखना बहुत जरुरी हो गया है।
- किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होने पर जल्द से जल्द प्रशासन या स्वयंसेवी संस्था की मदद लें।
- हमेशा जागरुक, सावधान और तत्पर रहकर सुरक्षित बने रहें।

- डॉ. प्रितम भि. गेडाम

विश्व स्तनपान सप्ताह

विश्व स्तनपान सप्ताह, प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्तनपान एवं कार्य को दृढ़तापूर्वक एकसाथ करने का समर्थन देता है। साथ ही इसका यह उद्देश्य है कि कामकाजी महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरुकता प्रदान करना। साथ ही कार्यालयों में भी इस प्रकार का माहौल बनाना की स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधाएं ना हो। डब्ल्यूएचओ की सिफारिश के अनुसार नवजात शिशु के लिए पीला गाढ़ा चिपचिपा युक्त मां के स्तन का दूध कोलेस्ट्रम संपूर्ण आहार होता है। जिसे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर ही शुरु कर देना चाहिए। सामान्यता बच्चे को 6 महीने की अवस्था तक स्तनपान कराने की अनुशंसा की जाती है। शिशु को 6 महीने की अवस्था और 2 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक स्तनपान कराने के साथ-साथ पौष्टिक पूरक आहार भी देना चाहिए। स्तन में दूध पैदा होना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। जब तक बच्चा दूध पीता है, तब तक स्तन में दूध पैदा होता है एवं बच्चे के दूध पीना छोड़ने के पश्चात कुछ समय बाद अपने आप ही स्तन से दूध बनना बंद हो जाता है।

स्तनपान से होने वाले फायदे

स्तनपान कराने से मां और शिशु दोनों को फायदा होता है। अच्छा और सम्पूर्ण आहार होता है मां का दूध। दूध में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रम शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। शिशु को रोगों से बचाता है। शिशु की वृद्धि अच्छे से होती है।

स्तनपान

स्तनपान शिशु के जन्म के पश्चात एक स्वाभाविक क्रिया है। भारत में अपने शिशुओं का स्तनपान सभी माताऐं कराती हैं, परन्तु पहली बार माँ बनने वाली माताओं को शुरु में स्तनपान कराने हेतु सहायता की आवश्यकता होती है। स्तनपान के बारे में सही ज्ञान के अभाव में जानकारी न होने के कारण बच्चों में कुपोषण का रोग एवं संक्रमण से दस्त हो जाते हैं।

स्तनपान क्यों ज़रुरी है?

शिशु के लिए स्तनपान संरक्षण और संवर्धन का काम करता है। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति नए जन्मे हुए बच्चे में नहीं होती है। यह शक्ति माँ के दूध से शिशु को हासिल होती है। माँ के दूध में लेक्टोफोर्मिन नामक तत्त्व होता है, जो बच्चे की आंत में लौह तत्त्व को बांध लेता है और लौह तत्त्व के अभाव में शिशु की आंत में रोगाणु पनप नहीं पाते। माँ के दूध से आए साधारण जीवाणु बच्चे की आंत में पनपते हैं और रोगाणुओं से प्रतिस्पर्धा कर उन्हें पनपने नहीं देते। माँ के दूध में रोगाणु नाशक तत्त्व होते हैं। माँ की आंत में वातावरण से पहुँचे रोगाणु, आंत में स्थित विशेष भाग के संपर्क में आते हैं, जो उन रोगाणु-विशेष के ख़िलाफ़ प्रतिरोधात्मक तत्त्व बनाते हैं। ये तत्त्व एक विशेष नलिका थोरासिक डक्ट से सीधे माँ के स्तन तक पहुँचते हैं और दूध के द्वारा बच्चे के पेट में। बच्चा इस तरह माँ का दूध पीकर सदा स्वस्थ रहता है। माँ का दूध जिन बच्चों को बचपन में पर्याप्त रुप से पीने को नहीं मिलता, उनमें बचपन में शुरु होने वाली मधुमेह की बीमारी अधिक होती है। बुद्धि का विकास उन बच्चों में दूध पीने वाले बच्चों की अपेक्षाकृत कम होता है। अगर बच्चा समय से पूर्व जन्मा (प्रीमेच्योर) हो, तो उसे बड़ी आंत का घातक रोग, नेक्रोटाइजिंग एंटोरोकोलाइटिस हो सकता है। अगर गाय का दूध पीतल के बर्तन में उबाल कर दिया गया हो, तो उसे लीवर (यकृत) का रोग इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस हो सकता है। इसलिए माँ का दूध छह-आठ महीने तक बच्चे के लिए श्रेष्ठ ही नहीं, जीवन रक्षक भी होता है।

साभार : विकिपीडिया

सुकन्या संकल्प निकेतन विद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का देखा सीधा प्रसारण

बुलंद गोंदिया - गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाली काटी की सुकन्या संकल्प निकेतन विद्यालय में भारत की 15 वी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। जिसके लिए विद्यालय प्रशासन द्वारा एक बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी। उपरोक्त कार्यक्रम संस्था के संचालक गजेंद्र फुंडे के मार्गदर्शन में शाला के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थियों द्वारा किया गया था। साथ ही इस अवसर पर विद्यालय में हाल ही में संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव में विजयी प्रतिनिधियों को शपथ भी दिलाई गई तथा उन्हें कार्यभार सौंपा गया।

मैथिलीशरण गुप्त : जयंती

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त (3 अगस्त 1886 - 12 दिसम्बर 1964) हिन्दी के प्रसिद्ध कवि थे। हिन्दी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्त्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से सम्बोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत-भारती (1912) भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयन्ती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रुप में मनाया जाती है। सन 1964 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया।

महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य-भाषा के रुप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रजभाषा जैसी समृद्ध काव्य-भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नये कवियों ने इसे ही अपनी काव्य-अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिन्दी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय सम्बन्धों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर है।

जीवन परिचय

मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 में पिता सेठ रामचरण कनकने और माता काशीबाई की तीसरी संतान के रुप में उत्तर प्रदेश में झांसी के पास चिरगांव में हुआ। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेलकूद में अधिक ध्यान देने के कारण पढ़ाई अधूरी ही रह गयी। रामस्वरुप शास्त्री, दुर्गादत्त पंत, आदि ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया। घर में ही हिन्दी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरम्भ किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के सम्पर्क में भी आये। उनकी कवितायें खड़ी बोली में मासिक सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारम्भ हो गई।

प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग तथा बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुई। उन्होंने बंगाली के काव्य ग्रन्थ मेघनाथ वध, ब्रजांगना का अनुवाद

भी किया। सन् 1912-13 ई. में राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया। उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ स्वप्नवासवदत्ता का अनुवाद प्रकाशित कराया। सन् 1916-17 ई. में महाकाव्य साकेत की रचना आरम्भ की। उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव इस ग्रन्थ में दूर किये। स्वत: प्रेस की स्थापना कर अपनी पुस्तकें छापना शुरु किया। साकेत तथा पंचवटी आदि अन्य ग्रन्थ सन् 1931 में पूर्ण किये। इसी समय वे राष्ट्रपिता गांधी के निकट सम्पर्क में आये। यशोधरा सन् 1932 ई. में लिखी। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा प्रदान की। 16 अप्रैल 1941 को वे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। पहले उन्हें झाँसी और फिर आगरा जेल ले जाया गया। आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें सात महीने बाद छोड़ दिया गया। सन् 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट. की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1952-64 तक राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुये। सन् 1953 ई. में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सन् 1962 ई. में अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया तथा हिन्दू विश्वविद्यालय के द्वारा डी.लिट. से सम्मानित किये गये। वे वहाँ मानद प्रोफेसर के रुप में नियुक्त भी हुए। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चिरगाँव में उन्होंने 1911 में साहित्य सदन नाम से स्वयं की प्रैस शुरु की और झांसी में 1954-55 में मानस-मुद्रण की स्थापना की।

इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयन्ती समारोह का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता गुप्त जी ने की। सन् 1963 ई. में अनुज सियाराम शरण गुप्त के निधन ने अपूर्णनीय आघात पहुंचाया। 12 दिसम्बर 1964 ई. को दिल का दौरा पड़ा और साहित्य का जगमगाता तारा अस्त हो गया। 78 वर्ष की आयु में दो महाकाव्य, 19 खण्डकाव्य, काव्यगीत, नाटिकायें आदि लिखी। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान प्रतिबिम्बित है। भारत भारती के तीन खण्ड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। वे मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। हिन्दी में लेखन आरम्भ करने से पूर्व उन्होंने रसिकेन्द्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएँ, दोहा, चौपाई, छप्पय आदि छंद लिखे। ये रचनाएँ 1904-05 के बीच वैश्योपकारक (कलकत्ता), वेंकटेश्वर (बम्बई) और मोहिनी (कन्नौज) जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। उनकी हिन्दी में लिखी कृतियाँ इंदु, प्रताप, प्रभा जैसी पत्रिकाओं में छपती रहीं। प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएँ प्रकाशित हुईं।

जयन्ती

मध्य प्रदेश के संस्कृति राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की जयंती प्रदेश में प्रतिवर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रुप में व्यापक रुप से मनायी जायेगी। यह निर्णय राज्य शासन ने लिया है। युवा पीढ़ी भारतीय साहित्य के स्वर्णिम इतिहास से भली-भांति वाकिफ हो सके इस उद्देश्य से संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में भारतीय कवियों पर केन्द्रित करते हुए अनेक आयोजन करेगा।

काव्यगत विशेषताएँ

गुप्त जी स्वभाव से ही लोकसंग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रुप से संवेदनशील रहे। उनका काव्य एक ओर वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिनचंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदनमोहन मालवीय उनके आदर्श रहे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रान्तिकारी विचारधारा से प्रभावित हो चुका था। श्अनघश से पूर्व की रचनाओं में, विशेषकर जयद्रथ-वध और भारत भारती में कवि का क्रान्तिकारी स्वर सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेन्द्र प्रसाद, और विनोबा भावे के सम्पर्क में आने के कारण वह गांधीवाद के व्यावहारिक पक्ष और सुधारवादी आन्दोलनों के समर्थक बने।

नाग पंचमी

नाग पंचमी हिन्दुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिन्दू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रुप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। लेकिन कहीं-कहीं दूध पिलाने की परम्परा चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या प्रत्यूर्जता से उनकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इस दिन अष्टनागों की पूजा की जाती है। आज के पावन पर्व पर वाराणसी (काशी) में नाग कुआँ नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। किंवदन्ति है कि इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक रुप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आये, परन्तु गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गयी, और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया, परन्तु अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया, उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन से यहाँ नाग पूजा की जाती है, यह मान्यता है, कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआँ का दर्शन करता है, उसकी जन्मकुन्डली के सर्प दोष का निवारण हो जाता है। नागपंचमी के ही दिन अनेकों गांव व कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी, तालाब में ले जाकर नहलाया जाता है।

संस्कृति

हिन्दू संस्कृति ने पशु-पक्षी, वृक्ष-वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया है। हमारे यहां गाय की पूजा होती है। कई बहनें कोकिला-व्रत करती हैं। कोयल के दर्शन हो अथवा उसका स्वर कान पर पड़े तब ही भोजन लेना, ऐसा यह व्रत है। हमारे यहाँ वृषभोत्सव के दिन बैल का पूजन किया जाता है। वट-सावित्री जैसे व्रत में बरगद की पूजा होती है, परन्तु नाग पंचमी जैसे दिन नाग का पूजन जब हम करते हैं, तब तो हमारी संस्कृति की विशिष्टता पराकाष्टा पर पहुंच जाती है।

गाय, बैल, कोयल इत्यादि का पूजन करके उनके साथ आत्मीयता साधने का हम प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वे उपयोगी हैं। लेकिन नाग हमारे किस उपयोग में आता है, उल्टे यदि काटे तो जान लिए बिना न रहे। हम सब उससे डरते हैं। नाग के इस डर से नागपूजा शुरु हुई होगी, ऐसा कई लोग मानते हैं, परन्तु यह मान्यता हमारी संस्कृति से सुसंगत नहीं लगती। नाग को देव के रुप में स्वीकार करने में आर्यों के हृदय की विशालता का हमें दर्शन होता है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम् इस गर्जना के साथ आगे बढ़ते हुए आर्यों को भिन्न-भिन्न उपासना करते हुए अनेक समूहों के संपर्क में आना पड़ा। वेदों के प्रभावी विचार उनके पास पहुँचाने के लिए आर्यों को अत्यधिक परिश्रम

करना पड़ा।

विभिन्न समूहों को उपासना विधि में रहे फर्क के कारण होने वाले विवाद को यदि निकाल दिया जाए तो मानव मात्र वेदों के तेजस्वी और भव्य विचारों को स्वीकार करेगा, इस पर आर्यों की अखण्ड श्रद्धा थी। इसको सफल बनाने के लिए आर्यों ने अलग-अलग पुंजों में चलती विभिन्न देवताओं की पूजा को स्वीकार किया और अलग-अलग पुंजों को उन्होंने आत्मसात करके अपने में मिला लिया। इन विभिन्न पूजाओं को स्वीकार करने के कारण ही हमें नागपूजा प्राप्त हुई होगी, ऐसा लगता है।

भारत वर्ष में सर्प पूजन

भारत देश कृषिप्रधान देश हैं, और सांप खेतों का रक्षण करता है, इसलिए उसे क्षेत्रपाल कहते हैं। जीव-जंतु, चूहे आदि जो फसल को नुकसान करने वाले तत्व हैं, उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हराभरा रखता है। साँप हमें कई मूक संदेश भी देता है। साँप के गुण देखने की हमारे पास गुणग्राही और शुभग्राही दृष्टि होनी चाहिए। भगवान दत्तात्रय की ऐसी शुभ दृष्टि थी, इसलिए ही उन्हें प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीख मिली।

साँप सामान्यतया किसी को अकारण नहीं काटता। उसे परेशान करने वाले को या छेड़ने वालों को ही वह डंसता है। साँप भी प्रभु का सर्जन है, वह यदि नुकसान किए बिना सरलता से जाता हो, या निरुपद्रवी बनकर जीता हो तो उसे मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जब हम उसके प्राण लेने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने प्राण बचाने के लिए या अपना जीवन टिकाने के लिए यदि वह हमें डँस दे तो उसे दुष्ट कैसे कहा जा सकता है? हमारे प्राण लेने वालों के प्राण लेने का प्रयत्न क्या हम नहीं करते? साँप को सुगंध बहुत ही भाती है। चंपा के पौधे को लिपटकर वह रहता है या तो चंदन के वृक्ष पर वह निवास करता है। केवड़े के वन में भी वह फिरता रहता है। उसे सुगंध प्रिय लगती है, इसलिए भारतीय संस्कृति को वह प्रिय है। प्रत्येक मानव को जीवन में सद्गुणों की सुगंध आती है, सुविचारों की सुवास आती है, वह सुवास हमें प्रिय होनी चाहिए।

सर्प मणि

कुछ दैवी साँपों के मस्तिष्क पर मणि होती है। मणि अमूल्य होती है। हमें भी जीवन में अमूल्य वस्तुओं को (बातों को) मस्तिष्क पर चढ़ाना चाहिए। समाज के मुकुटमणि जैसे महापुरुषों का स्थान हमारे मस्तिष्क पर होना चाहिए। हमें प्रेम से उनकी पालकी उठानी चाहिए और उनके विचारों के अनुसार हमारे जीवन का निर्माण करने का अहर्निश प्रयत्न करना चाहिए। सर्व विद्याओं में मणिरुप जो अध्यात्म विद्या है, उसके लिए हमारे जीवन में अनोखा आकर्षण होना चाहिए। आत्मविकास में सहायक न हो, उस ज्ञान को ज्ञान कैसे कहा जा सकता है?

साँप बिल में रहता है और अधिकांशत: एकान्त का सेवन करता है। इसलिए मुमुक्षु को जनसमूह को टालना चाहिए। इस बारे में साँप का उदाहरण दिया जाता है।

देव-दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में साधन रुप बनकर वासुकी नाग ने दुर्जनों के लिए भी प्रभु कार्य में निमित्त बनने का मार्ग खुला कर दिया है। दुर्जन मानव भी यदि सच्चे मार्ग पर आए तो वह सांस्कृतिक कार्य में अपना बहुत बड़ा योग दे सकता है और दुर्बलता सतत खटकती रहने पर ऐसे मानव को अपने किए हुए सत्कार्य के लिए ज्यादा घमंड भी निर्माण नहीं होगा। दुर्जन भी यदि भगवद् कार्य में जुड़ जाए तो प्रभु भी उसको स्वीकार करते हैं, इस बात का समर्थन शिव ने साँप को अपने गले में रखकर और विष्णु ने शेष-शयन करके किया है।

समग्र सृष्टि के हित के लिए बरसते बरसात के कारण निर्वासित हुआ साँप जब हमारे घर में अतिथि बनकर आता है तब उसे आश्रय देकर कृतज्ञ बुद्धि से उसका पूजन करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इस तरह नाग पंचमी का उत्सव श्रावण महीने में ही रखकर हमारे कृषियों ने बहुत ही औचित्य दिखाया है।

पूजन विधि

प्रात: उठकर घर की सफाई कर नित्यकर्म से निवृत्त हो जाएँ। पश्चात स्नान कर साफ-स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन के लिए सेंवई-चावल आदि ताजा भोजन बनाएँ। कुछ भागों में नागपंचमी से एक दिन भोजन बना कर रख लिया जाता है और नागपंचमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। इसके बाद दीवाल पर गेरु पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे गेरु पुती दीवाल पर घर जैसा बनाते हैं और उसमें अनेक नागदेवों की आकृति बनाते हैं। नागपंचमी के दिन नागदेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कुरुकुल्ये हुं फट् स्वाहा का जाप करने से सर्पविष दूर होता है।

सर्वांगीण उत्थान के लिए अन्य पिछड़ावर्ग वित्त एवं विकास महामंडल की योजनाएं

बुलंद गोंदिया - अन्य पिछड़ावर्ग के समग्र विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ावर्ग वित्त और विकास महामंडल द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू की जाती हैं। ये योजनाएं 18 से 55 वर्ष की आयु के मध्यम आयु वर्ग के युवाओं के लिए हैं। इससे समाज के बेरोजगारों को इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिल रहा है। आइए जानते हैं इन प्लान्स के बारे में-

<u>प्रत्यक्ष ऋण योजना</u> - 20 प्रतिशत बीज पूंजी योजना, व्यक्तिगत ऋण ब्याज चुकौती योजना, समूह ऋण ब्याज चुकौती योजना, शैक्षिक ऋण ब्याज चुकौती योजना महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

<u>प्रत्यक्ष ऋण योजना</u> - इस योजना के तहत एक लाख रुपये तक का ऋण वितरित किया जाता है। नियमित ऋण चुकौती ब्याज मुक्त है और चूक पर 4 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए और सिबिल क्रेडिट स्कोर कम से कम 500 होना चाहिए। वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये तक होनी चाहिए। सरकारी कौशल विकास वेः साथ-साथ सरकारी, अर्ध-सरकारी संस्थानों से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को वरीयता दी जाती है।

<u>20 प्रतिशत बीज पूंजी योजना</u> - यह योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। परियोजना की सीमा 5 लाख रुपये है। इसमें निगम की हिस्सेदारी 20 फीसदी और बैंक की हिस्सेदारी 75 फीसदी और लाभार्थी की भागीदारी 5 फीसदी है। ऋण चुकौती अवधि 5 वर्ष है। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए और पूरे परिवार की वार्षिक आय एक लाख के भीतर होनी चाहिए।

<u>व्यक्तिगत ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति योजना</u> - इस योजना के लिए, सीमा 10 लाख रुपये है और बैंक द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की चुकौती निगम द्वारा बैंक की पुष्टि के अनुसार अधिकतम 12 प्रतिशत तक की जाती है। लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपये है। आवेदक महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए, आयु 18 से 50 के बीच होनी चाहिए। निगम के कंप्यूटर सिस्टम पर नाम का पंजीकरण अनिवार्य है। उम्मीदवार को पहले निगम या अन्य निगमों की किसी भी योजना से लाभ नहीं होना चाहिए था। वह बैंक, वित्तीय संस्थान का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एक परिवार में एक व्यक्ति केवल एक बार ही इस योजना का लाभ उठा सकता है।

<u>समूह ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति योजना</u> - योजना के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित बचत समूह, भागीदारी, सहकारी समितियां, कंपनियां निगम की वेबसाइट पर आवेदन करें। समूह में उम्मीदवार को इस मामले के लिए या इससे पहले इस या किसी अन्य निगम की योजना का लाभ नहीं उठाना चाहिए था। समूह को सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से मामले को संभालने में सक्षम बैंक को ऋण मामला बनाना चाहिए था। एक समूह भागीदार का एक राष्ट्रीयकृत, प्रतिष्ठित अनुसूचित बैंक में एक कोर बैंकिंग प्रणाली वाला खाता होना चाहिए। समूह के सभी सदस्यों का न्यूनतम क्रेडिट स्कोर 500 होना चाहिए।

<u>शैक्षिक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति योजना</u> - इस योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को राज्य, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के लिए बैंकों के माध्यम से उपलब्ध ऋण राशि पर ब्याज का पुनर्भुगतान दिया जाता है। घरेलू पाठ्यक्रमों के लिए बैंक की ऋण सीमा 10 लाख रुपये और विदेशी पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रुपये है। महाराष्ट्र के निवासी छात्र की आयु 17 से 30 वर्ष और वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख रुपये तक होनी चाहिए। आवेदक को 12वीं कक्षा 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।

स्वास्थ्य विज्ञान, इंजीनियरिंग, पेशेवर और प्रबंधन पाठ्यक्रम, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और पशु विज्ञान पाठ्यक्रमों में घरेलू पाठ्यक्रमों के लिए बैंक द्वारा प्रदान किए गए ऋण में शिक्षण शुल्क, पुस्तकों की खरीद, सामग्री और आवास और भोजन की लागत शामिल होगी।

विदेशी पाठ्यक्रमों में स्वास्थ्य विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यवसाय और प्रबंधन, विज्ञान और कला के पाठ्यक्रम शामिल हैं। बैंक द्वारा प्रदान किया गया ऋण केवल शिक्षा शुल्क, किताबें, सामग्री खरीद की लागत को कवर करेगा। विदेशी पाठ्यक्रमों के लिए 200 से ऊपर की क्यूएस रैंकिंग वाले संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्रों ने भी जीआरई और टीओईएफएल परीक्षा उत्तीर्ण की होगी। निगम जिला प्रबंधक, महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के संबंध में आवेदन एवं अधिक जानकारी के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन, गोंदिया में संपर्क करें। निगम की वेबसाइट **www.msobcfdc.org** भी देखें।

महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्गो के नागरिकों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्हें स्वरोजगार के योग्य बनाने के लिए विभिन्न ऋण योजनाएं लागू की जा रही हैं और अधिक से अधिक नागरिक इन योजनाओं से लाभान्वित हों।

- जिला प्रबंधक गोंदिया

स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार निर्माण पर दें ध्यान - जिलाधिकारी गुंडे

मानव विकास योजनाओं की समीक्षा

बुलंद गोंदिया - मानव विकास कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी नयना गुंडे की अध्यक्षता में समीक्षा सभा ली गयी। इस अवसर पर गुंडे ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन पर जोर दिया जाना चाहिए जो मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने के लिए बुनियादी कारक हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन के संदर्भ में तीन बुनियादी कारक हैं और मानव विकास सूचकांक को बढ़ाने और उन्हें योजना का लाभ पहुंचाने के लिए गरीबी के कमजोर तत्वों का पता लगाना आवश्यक है।

उन्होंने सभी वर्तमान विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि योजनाओं के साथ मिलकर अनुसूचित जाति, जनजाति, जनजाति के अंतर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम 90 प्रतिशत सरकारी अंश एवं 10 प्रतिशत लाभार्थी अंश के आधार पर योजनाओं का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। विभिन्न विभागों के मानव विकास कार्यक्रम के तहत लागू किया गया।

जिलाधिकारी ने सभा में स्पष्ट निर्देश दिए कि गरीबी उन्मूलन और भूखमरी के पूर्ण उन्मूलन पर अधिक से अधिक जोर दिया जाए। वर्ष 2021-22 के तहत लागू योजनाओं की समीक्षा पर विभिन्न विभागों के प्रमुखों से चर्चा की गई और विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिला योजना अधिकारी (मानव विकास) श्रीराम पछखेड़े सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उपस्थित लोगों का आभार जिला योजना अधिकारी श्रीमती पूजा पाटिल ने माना।

राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की सभा संपन्न

बुलंद गोंदिया - राष्ट्रवादी काँग्रेस भवन, रेलटोली कार्यालय, गोंदिया में राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की सभा पूर्व विधायकराजेंद्र जैन, शहर अध्यक्ष अशोक सहारे, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष रफीक खान की प्रमुख उपस्थित्ति में संपन्न हुई। सभा को संबोधित करते हुये पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने कहा की, अल्पसंख्यक लोगो के विकास के लिए एवं विविध शासकीय योजनाओ का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय को दिलाने हेतु सांसद प्रफुल पटेल के कुशल नेतृत्व में सहयोग करेंगे स आगामी होने वाले चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगो को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। साथ ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष संगठन मजबूत करने हेतु पूर्व विधायक जैन ने सभा का मार्गदर्शन किया।

आपदा प्रबंधन विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण - भा.प्र.से. जगदीश पांडे

प्रशस्ति पत्र देकर आपदा प्रतिसाद दल को किया सम्मानित

बुलंद गोंदिया - जिले में मानसून कालावधी के दौरान विभिन्न घटनाओं में तत्काल प्रतिसाद देकर जीवित व वित्तीय हानी के प्रभाव कम करने हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रतिसाद दल की भूमिका महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रतिपादन भा.प्र.से. जगदीश पांडे, शिक्षण उपसंचालक अंदमान व निकोबार बेट नागरी सेवा ने समाज कल्याण विभाग, गोंदिया के सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में कहा। इस अवसर पर आपदा प्रतिसाद दल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

इस वर्ष जिले में विभिन्न घटनाओं में 11 नागरिकों की नैसर्गिक आपदा में मृत्यु हो चुकी है। हाल ही में बाढ़ की घटनाओं में 4 युवको की नाले में बहकर मृत्यु हो गई

थी। जिनके शवो को दो दिनों के पश्चात जिला आपदा प्रतिसाद दल के अथक प्रयासो से खोज निकालने में सफलता मिली। इस प्रकार की घटनाओं में जिले के आपदा प्रतिसाद दल की महत्वपूर्ण भूमिका हेतु उन्हें सम्मानित किया गया। इसके पूर्व जगदीश पांडे ने जिला नियंत्रण कक्ष में भेट देकर आपदा के समय की जानेवाली कार्यवाही व आपदा के विभिन्न सयंत्र एवं साजोसामान का जायजा लिया। साथ ही बाढ़ के समय नगरिकों को सूचना देने के माध्यम एवं नुकसान के सर्वे आदि की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जीवित व वित्तीय हानि के प्रभावो को रोकने हेतु जिले के कार्यो की सराहना भी की।

इस कार्यक्रम में प्रमुख रुप से डॉ. मंगेश वानखेडे सहा.आयुक्त समाज कल्याण, सहा.जिला आपूर्ति अधिकारी धनंजय देशमुख, जिला आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी राजन चौबे, अग्निशमन अधिकारी लोकचंद भेंडारकर व आपदा प्रतिसाद दल तथा अग्निशमन विभाग के सदस्य प्रमुख रुप से उपस्थित थे।

सेना भर्ती के लिए ३ अगस्त तक करें रजिस्ट्रेशन

बुलंद गोंदिया - अग्निपथ योजना के तहत, मानकापुर नागपुर में सेना की भर्ती होने जा रही है। भारतीय सेना ने विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरु कर दी है। जिलाधिकारी नयना गुंडे और सेना भर्ती बोर्ड के निदेशक के एच एस. ढिल्लन ने विदर्भ के 10 जिलों में 3 अगस्त 2022 तक पुरुष उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण का आव्हान किय है। सेना की भर्ती प्रक्रिया के अनुसार विदर्भ के दस जिलों नागपुर, वर्धा, वाशिम, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, अकोला, यवतमाल में सेना में कुछ पदों पर भर्ती शुरु की गई है। 10वीं और 8वीं पास योग्यता वाले इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई से 3 अगस्त तक जारी रहेगा। अपील की गई है कि युवा इस प्रक्रिया का लाभ उठाएं। इसके लिए **joinindianarmy.nic.in** पर रजिस्टर करें। स्वीकृत उम्मीदवार 10 से 20 अगस्त के बीच अपने ई-मेल आईडी पर प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। ई-मेल के जरिए एडमिट कार्ड भेजकर 14 सितंबर से 7 अक्टूबर तक भारतीय रैली का आयोजन किया गया है। इस बार चयन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अग्नीवीर के शामिल होने की संभावना है। आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रारंभिक चर्चा नागपुर में हुई बैठक में हुई। नागपुर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नागपुर जिला प्रशासन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस सेना भर्ती के लिए विदर्भ के 10 जिलों के उम्मीदवार शामिल होंगे। सेना में भर्ती 20 दिनों तक जारी रहेगी और प्रतिदिन 400 उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा होगी। इस अवसर पर मनकापुर परिसर क्षेत्र में बैरिकेड्स, पुलिस व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था, खानपान की व्यवस्था, दमकल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, क्षेत्र में सफाई के लिए सफाई कर्मियों, टेलीफोन और इंटरनेट सुविधा आदि के मुद्दों पर चर्चा की गई।

किसानो की परेशानी हरगिज बर्दास्त नही, नियमानुसार कर्ज का वितरण करे - विधायक अग्रवाल

कर्ज वितरण में देरी होने पर तीव्र आंदोलन करने की दी चेतावनी

बुलंद गोंदिया - विधायक विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में गोंदिया पंचायत समिती में सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में किसानो को कर्ज वितरण की जानकारी हेतु साथ ही शासन के नियम के अनुसार कर्ज वितरण किया गया है क्या या नही, दिए गए लक्ष्य के मुताबिक कर्ज वितरण बैंक द्वारा किया गया है या नही? इस संदर्भ में समीक्षा विनोद अग्रवाल द्वारा लिया गया। उसमे केवल ग्रामीण बैंक ने ही नियम के अनुसार कर्ज का वितरण किया है और अपना लक्ष्य पूर्ण किया है। किन्तु अन्य बैंको ने अपना लक्ष्य पूरा नही किया, जिस पर विनोद अग्रवाल ने नाराजगी व्यक्त की। सरकार के नियम का उल्लंघन न करे और किसानो का हक उन्हें दे अन्यथा की जाएगी कार्यवाही।

पंचायत समिती के आयोजित सभा में नियमित कर्ज वापसी करनेवाला किसानो को भी कर्ज नही मिल पा रहा है। ऐसा सेवा सहकारी के अध्यक्ष ने बतलाया और जितने कर्ज की मांग की जा रही है उतना कर्ज नही दिया जा रहा है। साथ ही जो नए सभासद है उन्हें भी कर्ज नही दिया जा रहा है ऐसी जानकारी अध्यक्षों के द्वारा दी गई। साथ ही को-ओपरेटिव बैंक के वरिष्ठ

अधिकारीयो द्वारा खंडित लोगो को कर्ज नही दिया जाये ऐसे निर्देश दिए गए है। लेकिन सरकार का नियम है कि सभी किसानो को कर्ज दिया जाये, उसके अनुसार ही कार्य किया जाये ऐसा विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा। अन्यथा कार्यवाही की जाएगी ऐसा कहते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के पास शिकायत दर्ज कराई जाएगी और उन पर केस भी दर्ज किये जायेगे। ऐसे बोलते हुए विधायक ने नाराजगी व्यक्त की। यदि कर्ज का वितरण नही कर पा रहे हो तो लिखित में दे।

विधायक विनोद अग्रवाल ने सभा में बैंक के कर्मचारी को कहा कि गोंदिया तहसील के किसानो को कर्ज प्रणाली से वंचित ना रखे तथा कर्ज वितरण का लक्ष्य पूर्ण करे और आपके पास यदि पैसे नही है तो कर्ज वितरण करने नाबार्ड पैसे देने के लिए तैयार है और विभागीय बैंक कर्ज वितरण करने के लिए मना करने पर उन पर केस दर्ज किया जाये, ऐसा बोलकर गुस्से में किसानो की तकलीफ सहन नही कर पाऊंगा ऐसा विधायक विनोद अग्रवाल ने क्रोधित रुप में कहा।

<u>किसानों के प्रकरणों को सुलझाने का कार्य कर उनका तुरंत समाधान करें</u>

ग्राम सचिव किसानो के निवेदन को स्वीकारते नही साथ ही उनके समस्याओ का निराकरण कर नही रहे है। इस विषय पर चर्चा के वक्त विधायक विनोद अग्रवाल ने को-ओपरेटिव बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मेश्राम इनके साथ चर्चा की और उनको सारी समस्या से अवगत कराया और किसानो की समस्या को प्राधान्य देकर उनकी समस्या का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। लेकिन उन्होंने प्रतिसाद नही दिया जिस पर विधायक विनोद अग्रवाल ने नाराजगी जताते हुए डीडीआर को उन पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 30 तारीख तक कर्ज वितरण का कार्य पूर्ण करे और किसानो को परेशान ना करे अन्यथा शीघ्र आंदोलन किया जायेगा और किसानो की कर्जमाफी के विषय को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री इनसे चर्चा करने के बारे में भी कहा। सभा में विधायक विनोद अग्रवाल, डीडीआर सोनकर, एलडीएम उदय खर्डणवीस, सभापती मुनेश रहांगडाले, भाऊराव उके, छत्रपाल तुरकर उपसभापती नीरजसिंह नागपुरे, खंड विकास अधिकारी पुराम, पंकज यादव, मोहन गौतम पृथ्वीराजसिंह नागपुरे, राजू नोतारकर, विक्की बघेले अजित टेंभरे, कपिल राणे, मनीष वैष्णव, इत्यादी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन

बुलंद गोंदिया। सत्र 2022-23 में जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन खेल एवं युवा सेवा निदेशालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे एवं जिला खेल परिषद गोंदिया के अंतर्गत जिला क्रीड़ा संकुल मरारटोली गोंदिया में 1 से 4 अगस्त 2022 (14 एवं 17 वर्ष बालक/बालिका) का आयोजन जिला क्रीड़ा विभाग द्वारा किया जा रहा है। प्रतियोगिता में अधिक से अधिक विद्यालय/महाविद्यालय कार्यालय समय के दौरान जिला खेल अधिकारी कार्यालय गोंदिया में 28 जुलाई 2022 तक अपनी टीम का पंजीकरण करायें। प्रतियोगिता में 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद जन्म हुए 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। साथ ही 17 वर्ष के लिए लड़के/लड़कियों के आयु वर्ग का जन्म 1 जनवरी 2006 को या उसके बाद होना चाहिए।

शहर अध्यक्ष केलनका के नेतृत्व में भाजपा का घर चलो अभियान

<u>नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रभागो में नागरिकों से भेंट कर मोदी सरकार की योजनाओं की दे रहे जानकारी</u>

बुलंद गोंदिया - मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी शहर के सभी नागरिकों तक पहुंचाने तथा उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर उसके समाधान के लिए गोंदिया शहर भाजपा अध्यक्ष सुनील केलनका के नेतृत्व में शहर भाजपा द्वारा शहर के सभी प्रभागो में नागरिकों से घर-घर जाकर भेंट कर रहे हैं। जिसमें अब तक शहर के 18 प्रभागो के नागरिकों से दल द्वारा मुलाकात की जा चुकी है।

गौरतलब है कि गोंदिया शहर भाजपा अध्यक्ष पद पर युवा नेतृत्व के रुप में सुनील केलनका ने जब से पदभार संभाला है, निरंतर पक्ष के निर्देश पर जनहित के कार्यक्रम निरंतर चलाने के साथ ही नागरिकों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देकर उनका निराकरण का कार्य कर रहे हैं। शहर में भाजपा के संगठन को मजबूत करने व नए नागरिकों को संगठन से जोड़ने के साथ-साथ मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न

जन कल्याणकारी योजनाएं व उपलब्धियों को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी प्रभागो में घर चलो अभियान सुनील केलनका के नेतृत्व में 11 जुलाई से शुरु हुआ है। जिसमें अब तक शहर के 22 प्रभागो में से 18 प्रभागो के लाखों नागरिकों तक पहुंच कर उनकी समस्याओं को भी प्रमुखता से समझ कर उसका निराकरण करने का कार्य व प्रयास कर रहे हैं।

इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए भाजपा शहर अध्यक्ष सुनील केलनका ने बताया कि भाजपा का घर चलो अभियान के अंतर्गत गोंदिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत आने वाली जनता से बेहतर प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है तथा उन तक भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंच रही है। जिससे उसका लाभ ले सकते हैं साथ ही प्रभागो के अंतर्गत आने वाली तथा नागरिकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। इस अभियान में शहर पक्ष के पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। नागरिकों द्वारा भी विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी इस अभियान के अंतर्गत मिलने पर उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। तथा इस अभियान के दौरान और अधिक संख्या में नागरिक भाजपा संगठन से जुड़ रहे हैं तथा निरंतर पक्ष को मजबूती प्रदान हो रही है तथा यह अभियान पूरे प्रभागो में निरंतर चलता रहेगा तथा किसी भी नागरिकों की समस्या होने पर वे उनसे संपर्क कर सकते हैं।

जाहिर सूचना

गोंदिया तालुक्यातील मध्यवर्ती भागात नवनिर्मित नवीन प्रशासकीय इमारत गोंदिया, जयस्तंभ चौक, तालुका जिल्हा गोंदिया येथे नवीन प्रशासकिय, गोंदिया येथील विभागप्रमुख या अधिकरान्वये वतीने खालीलप्रमाणे अनुभवी पंजीबद्ध संस्था/कंत्राटदाराकडून कामाचे दर मागविण्यात येत आहेत.

अक्र	विवरण	प्रमाणित (ठरविलेले) दर प्रति महिना
01	झेरॉक्स दुकान करीता भाडयाने जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत	6000/- (सहा हजार फक्त)
02	दोन चाकी-चार चाकी स्टेन्ड	10000/- (दहा हजार फक्त)
03	उपहारगृह	20115/- (वीज हजार एकशे पंधरा फक्त)
	अर्ज सादर करण्याची अंतीम दिनांक	08 ऑगस्ट 2022

अर्जाचा विस्तृत नमुना उपविभागीय अधिकारी कार्यालय गोंदिया, नवीन प्रशासकीय इमारत गोंदिया, प्रथम मजला, खोली क्र.11 ता.जि.गोंदिया येथे उपलब्ध आहे.

(पर्वणी पाटील)
उपविभागीय अधिकारी गोंदिया तथा
सदस्य सचिव प्रशासकीय मेन्टे.ई. सह.संस्था
मर्या.गोंदिया, ता.जि.गोंदिया

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया, ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया ४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित। संपादक : संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र. ९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया।